

फर्द अहकाम

न्यायालय सागरी देवी ADN-J.R. बनाम राज सरकार
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 33/2024

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	22.02.24	राज्य (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवसृजित जिला जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किया गया है जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के आदेश दिनांक 23.08.2023 की पालना में पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, तृतीय जयपुर स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। वकील पत्रावली स्थिति। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली पेश हुई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 2.5.24 को पेश हुई।	
	2.5.24	श्री कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 1.3.24 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण) के आदेश दिनांक 16.5.24 पेश हो।	
	16.5.24	पत्रावली पेश हुई। अर्पित अपीलार्थ अनुपस्थित प्रत्येक के जोड़िए पेश करके हेतु अपीलार्थ में स्थिति का उद्योग और दिनांक 16.5.24 को पेश हो।	
	30.5.24	अतिरिक्त कलक्टर (परीब) जयपुर पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थ अपीलार्थ की तब कर्मा उपन सुना गया। अपीलार्थ अपीलार्थ में सम्बन्धित प्रकरण में अपर न्यायालय से अपीलार्थ के पक्ष में निर्णय पारित होना बताया हुए इस न्यायालय की उक्त अपील को विद्वानों को हेतु निवेदन किया अपीलार्थ इस प्रकरण में अंगे की अपीलार्थ की पेश करके अपीलार्थ पर अपील खड़ा करके हेतु अपीलार्थ में अपीलार्थ है। अतः न्यायालय में अपीलार्थ को अपीलार्थ प्रार्थना पत्र प्रेष करके अपीलार्थ प्रेष करके ही अपीलार्थ तदनुसार पत्रावली प्रेषण प्रेषण होकर दर्ज नम्बर में कम हो। पत्रावली का फतवा जारी कर दिया है।	

30.5.24
 We do
 2207/2024
 to
 Prime
 in
 name of
 Hm
 2/3/24
 2/3/24

अतिरिक्त कलक्टर
 (परीब) जयपुर